



सोनभद्र पुलिस



प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक- 24.10.2026

- नशे के सौदागरों के विरुद्ध सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्रवाई-
- शक्तिनगर पुलिस द्वारा NDPS Act के तहत मादक पदार्थ तस्करी में संलिप्त अभियुक्त की ₹23.86 लाख की सम्पत्ति फ्रीज-
- NDPS Act की धारा 68E एवं 68F के तहत जनपद सोनभद्र में अब तक 06 प्रकरणों में कुल ₹05.56 करोड़ से अधिक की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज-

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** द्वारा अपराध एवं मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **सुश्री मेविस टॉक** के दिशा-निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी पिपरी **श्री हर्ष पाण्डेय** के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक थाना शक्तिनगर **श्री सत्येन्द्र राय** एवं थानाध्यक्ष पिपरी **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** द्वारा NDPS Act के प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई की गई।

थाना शक्तिनगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0-20/2026, धारा 8/21, 27-ए/29 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित अभियुक्त दीपक कुमार भारती पुत्र गुलाब भारती, निवासी डिबुलगंज, थाना अनपरा, जनपद सोनभद्र की मादक पदार्थों के अवैध व्यापार से अर्जित धनराशि से अर्जित ₹23,86,000/- (तेईस लाख छियासी हजार रुपये) मूल्य की आवासीय संपत्ति को एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के अध्याय-V-A की धारा 68-एफ के अंतर्गत फ्रीजिंग आदेश दिनांक 21.10.2026 के अनुपालन में आज दिनांक 24.10.2026 को फ्रीज किया गया। उक्त फ्रीजिंग आदेश को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के सक्षम प्राधिकारी एवं न्यायनिर्णायक प्राधिकारी, नई दिल्ली द्वारा वाद संख्या NDPSA/FO/1305/DAL/2026 में अनुमोदित किया गया था। आदेश के अनुपालन में संबंधित आवासीय संपत्ति पर फ्रीजिंग आदेश का नोटिस विधिवत चस्पा किया गया।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास—

1. मु0अ0सं0-133/2023, धारा 8/21, 27-A/29 एनडीपीएस अधिनियम थाना अनपरा।
2. मु0अ0सं0-20/2026, धारा 8/21, 27-A/29 एनडीपीएस अधिनियम थाना शक्तिनगर।
3. मु0अ0सं0-193/2025, धारा 8/21 एनडीपीएस अधिनियम थाना अनपरा।
4. मु0अ0सं0-16/2019, धारा 323, 34, 504, 506 IPC थाना अनपरा।

जनपद सोनभद्र में अब तक **कुल 06 प्रकरणों** में **₹5 करोड़ 56 लाख 25 हजार 695 रुपये** की सम्पत्ति **जब्त/फ्रीज** की गई है। इनमें थाना रॉबर्ट्सगंज के 02, थाना अनपरा के 01, थाना शक्तिनगर के 02 एवं थाना म्योरपुर के 01 प्रकरण शामिल हैं।

जब्त/फ्रीज की गई सम्पत्ति का विवरण—

1. थाना रॉबर्ट्सगंज

कोडीनयुक्त कफ सिरप से संबंधित प्रकरण में ₹4 करोड़ 50 लाख 13 हजार 541 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

2. थाना अनपरा

हेरोइन से संबंधित प्रकरण में ₹26 लाख 62 हजार 165 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

3. थाना शक्तिनगर

संबंधित प्रकरण में ₹15 लाख 72 हजार 140 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

4. थाना रॉबर्ट्सगंज

अन्य हेरोइन प्रकरण में ₹1 लाख 08 हजार 156 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

5. थाना म्योरपुर

NDPS Act प्रकरण में ₹38 लाख 83 हजार 693.52 रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

6. थाना शक्तिनगर(आज की कार्यवाही)

NDPS Act प्रकरण में ₹23 लाख 86 हजार रुपये की सम्पत्ति जब्त/फ्रीज की गई।

सोनभद्र पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार में संलिप्त अपराधियों एवं उनसे संबंधित सम्पत्तियों के विरुद्ध प्रभावी वैधानिक कार्रवाई लगातार जारी है।